न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 134/2024/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांक 19.06.2024
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

राधेश्याम पुत्र सुंखलाल जी जाति माली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल, जिला बारां

...अपीलान्ट

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र रतनलाल जी जाति अहीर निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बांरा राज.
2. राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार मांगरोल

...रेस्पो.

उपस्थित : श्री रमेश चंद कुशवाहा अभिभाषक –अपीलांट
श्री रघुवीर यादव अभिभाषक –रेस्पो0 क्र. 1
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 2

::निर्णय::

दिनांक 29.01.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 06/2018 बउनवान राधेश्याम बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट में पेश कर कथन किया गया कि खसरा नं0 1594 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा किस्म रास्ता आराजी हाल सेटलमेंट से पूर्व राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है और राजस्व रेकार्ड में खातेदार के स्थान पर ग्राम के मार्ग तथा पगडंडियां ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां में दर्ज है। हाल सेटलमेंट 2044–63 होने के बाद सेटलमेंट कार्मिको ने साबिक खसरान नं. 1594 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै.मु. रास्ता के निम्न प्रकार से नवीन खसरा नं. दर्ज किये गये।

साबिक खसरा नं0	हाल खं० नं०	रकबा	किस्म
1594 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा गैर मु0 रास्ता	1622	0.05 है0	रास्ता
	1623	0.05 है0	रास्ता
	1624	0.17 है0	बंजड
	1625	0.05 है0	रास्ता

29/1/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

दौराने सेटलमेंट कार्मिको ने खसरा नं0 1624 रकबा 0.17 है0 को गै०मुमकिन रास्ते से बंजड दर्ज कर दिया। अतः आराजी हाल खसरा नं0 1624 रकबा 0.17 है0 किस्म बंजड वाके माल सीसवाली की किस्म पुनः पूर्व की भांति गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

2. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार मांगरोल की अभिशंषा एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी के आधार पर निर्णय दिनांक 07.06.2018 से ग्राम सीसवाली के खसरा नं0 1624 रकबा 0.17 है0 की किस्म बंजड से गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

3. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ अपील पेश करने के इजाजत दिये जाने के साथ प्रस्तुत अपील में कथन किया गया कि रेस्पो. क्र. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट इस आशय का पेश किया कि ग्राम सीसवाली मे हाल, ख. न. 1624 रकबा 0.17 हेक्टर स्थित है जिसकी किस्म बंजड है तथा उक्त आराजी की पुराने ख. न. 1594 का कुल रकबा 2 बीधा 9 बिस्वा था उक्त ख. न. का नया खसरा नम्बर का एक भाग 1624 का होना बताया गया है जो कि पूर्व मे रास्ते के रूप मे दर्ज होना बताया गया तथा उक्त ख. न. 1624 को पुनः रास्ते के रूप मे दर्ज होने की प्रार्थना की गई जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की जांच किये मात्र पटवारी की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार पर अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त ख. नम्बर 1624 का रकबा 0.17 है0 को रास्ते के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया है। उक्त आदेश जेर अपील कानून न्याय एवम तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो. क्र.1 जो कि एक अनाधिकृत व्यक्ति है के द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर आदेश जेर अपील प्रदान करने मे त्रुटि की है। जबकि विवादित आराजी सरकारी भूमि है जिसके संबंध मे समस्त कार्यवाही करने का या राजस्व रिकार्ड मे किसी प्रकार की तब्दीली करने का कराने का अधिकार राजस्व प्रतिनिधि तहसीलदार को है उक्त प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया है एक अनाधिकृत व्यक्ति रेस्पो. न01 के द्वारा पेश किया गया हे जिसको स्वीकार करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। विवादित आराजी जिसकी किस्म राजस्व रिकार्ड मे बंजड दर्ज थीं। उक्त आराजी ख.न. 1594 हाल ख.न. 1624 रकबा 0.17 हेक्टर पर अपीलान्ट का काफी पुराना कब्जा है तथा अपीलान्ट उक्त आराजी का तावान आदि भी जमा करवा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही फरमाया कि पूर्व ख. न. 1594 का रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा था जिसके हाल ख. न. 1622 रकबा 0.05 हेक्टर ख. न. 1623 रकबा 0.05 हेक्टर ख0न0 1624 रकबा 0.17 हेक्टर ख. न. 1625 रकबा 0.05 हेक्टर कायम हुआ है उक्त खसरा नम्बरान से मात्र अपीलान्ट के कब्जे की आराजी ख. न. 1624 की आराजी को ही रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है अन्य आराजी के बारे मे कोई आदेश नहीं दिया गया है यदि आदेश दिया जाना था तो सम्पूर्ण आराजी के संबंध मे दिया जाना था ऐसी स्थिति मे मात्र रेस्पो० न01 को लाभ पहुंचाने के लिये उक्त आदेश पारित किया गया है। रेस्पो. क्र.1 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध

29/1/2025

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मांगरोल मे एक वाद राधेश्याम बनाम राधेश्याम, राज. सरकार आदि के विरूद्ध पेश किया गया था उसमे अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर रेस्पो. क्र.1 द्वारा वाद आदेशात्मक घोषणा सुखाधिकार रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया था जो दिनांक 19.12.2019 को अदम हाजरी मे खारिज फरमा दिया गया है। रेस्पो. क्र.1 द्वारा उक्त तथ्य को छिपाकर उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 मे अपीलान्ट के पक्षकार बनाये बिना पेश कर दिया गया जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रक्रिया पूर्ण किये ही मात्र पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णित किया गया है अतः आदेश जेर अपील हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट का हाल आराजी ख० न0 1624 रकबा 0.17 हेक्टर पर काफी पुराना कब्जा है तथा उक्त आराजी की किस्म भी बंजड थी जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तब्दील करने के आदेश से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुये है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जेर अपील अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवम उसकी अनुपस्थिति मे केम्प सीसवाली के एक पक्षीय रूप से प्रदान किया गया है। अपीलान्ट को आदेश जेर अपील की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 06.05.2024 को पटवारी हल्का बताने पर हुई, इस प्रकार जानकारी होने पर उसी दिन अदालत मे जाकर नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 08.05.2024 को नकल प्राप्त हुई नकल प्राप्त कर यह अपील पेश की है जो कि सर्व प्रथम जानकारी की दिनांक 06.05.2024 से अवधि मध्य पेश है। अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाकर अपील स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल दिनांक 07.06.2018 निरस्त किया जावे।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की जांच किये मात्र पटवारी की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार पर अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त ख. नम्बर 1624 का रकबा 0.17 है0 को रास्ते के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया है। जबकि विवादित आराजी सरकारी भूमि है जिसके संबंध मे समस्त कार्यवाही करने का या राजस्व रिकार्ड मे किसी प्रकार की तब्दीली करने का कराने का अधिकार राजस्व प्रतिनिधि तहसीलदार को है उक्त प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया है एक अनाधिकृत व्यक्ति रेस्पो. न01 के द्वारा पेश किया गया है। रेस्पो. क्र.1 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मांगरोल मे एक वाद राधेश्याम बनाम राधेश्याम, राज. सरकार आदि के विरूद्ध पेश किया गया था उसमे अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर रेस्पो. क्र.1 द्वारा वाद आदेशात्मक घोषणा सुखाधिकार रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया था जो दिनांक 19.12.2019 को अदम हाजरी मे खारिज फरमा दिया गया है। रेस्पो. क्र.1 द्वारा उक्त

29/1/2025

तथ्य को छिपाकर उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 मे अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना पेश कर दिया गया जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रक्रिया पूर्ण किये ही मात्र पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णित किया गया है। अपीलान्ट का हाल आराजी ख० न0 1624 रकबा 0.17 हेक्टर पर काफी पुराना कब्जा है तथा उक्त आराजी की किस्म भी बंजड थी जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तब्दील करने के आदेश से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुये है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जेर अपील अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवम उसकी अनुपस्थिति मे केम्प सीसवाली में एक पक्षीय रूप से प्रदान किया गया है। अतः अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान कर अपील स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल दिनांक 07.06.2018 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया है, जो सही है। वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि होने से तहसीलदार मांगरोल को पक्षकार बनाया गया था तथा अपीलांट का मात्र कब्जा है, जो स्वामीत्व नहीं है, वादग्रस्त भूमि रास्ते में दर्ज है। सिविल न्यायालय में रेस्पो0 को परेशान करने रास्ता अवरूद्ध करने के कारण अपीलांट को पक्षकार बनाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार मांगरोल की अभिशंषा एवं रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र के आधार पर निर्णय दिनांक 07.06.2018 से ग्राम सीसवाली के खसरा नं0 1624 रकबा 0.17 है0 की किस्म बंजड से गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे।

7. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर न्यायहित में अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

8. प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने से पूर्व प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी का निर्णय किया जाना आवश्यक प्रकट होता है। अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ पेश कर कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की जांच किये मात्र पटवारी की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार पर अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त ख. नम्बर 1624 का रकबा 0.17 है0 को रास्ते के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया है। जबकि विवादित आराजी सरकारी भूमि है

29/1/2025

जिसके संबंध मे समस्त कार्यवाही करने का या राजस्व रिकार्ड मे किसी प्रकार की तब्दीली करने का कराने का अधिकार राजस्व प्रतिनिधि तहसीलदार को है उक्त प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया है एक अनाधिकृत व्यक्ति रेस्पो. न01 के द्वारा पेश किया गया है। रेस्पो. क्र.1 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मांगरोल मे एक वाद राधेश्याम बनाम राधेश्याम, राज. सरकार आदि के विरूद्ध पेश किया गया था उसमे अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर रेस्पो. क्र.1 द्वारा वाद आदेशात्मक घोषणा सुखाधिकार रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया था जो दिनांक 19.12.2019 को अदम हाजरी मे खारिज फरमा दिया गया है। रेस्पो. क्र.1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 मे अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना पेश कर दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों के संबंध में न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

9. पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2073–76 अनुसार खसरा संख्या 1624 रकबा 0.17 है0 भूमि जो कि किस्म बजंड़ राजकीय भूमि दर्ज रही है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तृतीय पक्षकार रेस्पो0 क्र.1 राधेश्याम पुत्र रतनलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त राजकीय भूमि के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को तहसीलदार मांगरोल की अभिशंषा एवं प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/रेस्पो0 के आधार पर ग्राम सीसवाली के खसरा सं0 1624 रकबा 0.17 है0 की किस्म बंजड से गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 07.06.2018 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 राधेश्याम पुत्र रतनलाल द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र धारा 136 में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाये जाने से न्यायहित में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की दृष्टि में प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 06/2018 बउनवान राधेश्याम बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

10. निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

29/1/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा